यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून**के माह 07/2017 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जोश्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक, श्री जितेंद्र सिंहसहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 02-09-2020 से 07-09-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज कुमार, लेखापरीक्षक,श्री खुशीराम नौटियाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षकव सुश्री रेखा,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 20.07.2017 तक श्री पुष्कर,वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2013 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून**का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून**के अन्तर्गत कला संकाय, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सहित स्नातक स्तर 18 विषय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 08 विषयो मे कक्षाओ का संचालन कर शिक्षा प्रदान की जा रही है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**		**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	501.52	423.41		69.11	-
2018-19	-	459.85	457.41		2.23	-
2019-20	-	496.04	495.05		0.99	-
2020-21 (08/2020)	-	249.27	230.56		-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-)
2018-19	ICSR	-	2.50	1.68	0.82
2019-20	ICSR	0.82	_	_	0.82
	RUSA		100.00	100.00	_
2020-21 (08/2020)	ICSR	0.82	3.00	-	
	RUSA	-	-		

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार, केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में**प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2017एवं08/2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 ब

प्रस्तरः-1 कंप्यूटर उपकरणो पर रु 16.10 लाख के व्यय करने के तीन वर्ष पश्चात भी ई-लाइब्रेरी की स्थापना न किया जाना

A digital library is a collection of documents in organized electronic form, available on the Internet or on CD-ROMs. Collection of electronic resources that provides direct/Indirect access to a systemically organized collection of digital objects. Contents will be in digital format which can be utilized only with the help of computer. Depending on the specific library, a user may be able to access magazine articles, books, papers, images, sound files, and videos. Digital libraries necessarily include a strong focus on the management of digital content, but traditional libraries have focused for long on the management of content in physical forms.

रूसा परियोजना के अंतर्गत रु 16.10 लाख के कम्प्यूटर उपकरण (21 डेस्क टॉप, 04 प्रिन्टर एवं 21 यूपीएस) माह नवंबर 2017 को ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु महाविद्यालय को प्राप्त हुये थे । शासन द्वारा ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु यथा आवश्यक सामग्री भी वरीयता के साथ क्रय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जुलाई 2019 मे अपर परियोजना निदेशक रूसा द्वारा ई-कंटेन्ट विकसित करके सार्थक ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु रूसा परियोजना निदेशालय को सूचित करने हेतु कहा गया था। उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 36/XXiV-c-2/2020-05(घो0)17 दिनांक 14 जनवरी 2020 द्वारा भी यह निर्देशित किया गया था, कि ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था लागू करने तथा उसके संचालन के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तराखंड के दिशानिर्देशानुसार पाँच वर्ष हेतु कुल रु 21,275/- का भुगतान एन0आई0सी0 को किया जाय ।

निरीक्षण मे पाया गया कि महाविद्यालय मे ई-लाइब्रेरी /डिजिटल लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि वाचनालय कक्ष मे कुछ कंप्यूटरो की मदद से छात्रो के लिये कंप्यूटर इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की गई थी ।

इस संबंध मे इकाई से पूछने पर बताया गया कि ई-लाइब्रेरी हेतु किताबों की लिस्टिंग का काम किया जा रहा है। तथा 21 डेस्क टॉप, 04 प्रिन्टर एवं 21 यूपीएस मे से 10 डेस्कटॉप, एवं यूपीएस वाचनालय मे स्थापित है तथा शेष विभागो को आवंटित है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि 21 डेस्क टॉप, 04 प्रिन्टर एवं 21 यूपीएस वर्ष 2017 मे ही क्रय कर महाविद्यालय को ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु हस्तांतरित कर दिया गया था । तीन वर्ष पश्चात भी ई-लाइब्रेरी हेतु अलग से भवन उपलब्ध न कराया जाना, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा छात्रो को उपलब्ध न करा पाना कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतः रु 16.10 लाख का व्यय करके कंप्यूटर उपकरणो का तीन वर्ष पश्चात नियत उद्देश्य की प्राप्ति न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तरः-2 दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रु 5.74 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14.12.2016 के बिन्दु संख्या 2 (ix) के अनुसार राजकीय तथा अनुदानित महाविध्यालयों मे पाठ्यक्रमो का शुल्क निर्धारण शासन द्वारा किया जाएगा।

विध्यार्थी शुल्क मे एकरूपता लाने सम्बन्धी दिनांक 20.06.2017 को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता मे कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी मे किया गया। बैठक मे कुमाऊँ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के महाविध्यालयों मे लिए जा रहे शुल्को पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, निदेशक उच्च शिक्षा की सहमति के उपरांत उत्तराखंड मे स्थित महाविध्यालयों मे सत्र 2017-18 से छात्र निधियो के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया।

कार्यालय श्री शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला देहरादून के छात्र निधियो के शुल्क सम्बन्धी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविध्यालय द्वारा 2017-18 से 2019-20 तक प्रयोगात्मक शुल्क के अंतर्गत रु 110 प्रतिवर्ष, छात्र सहायता के अंतर्गत रु 20 प्रतिवर्ष, प्रांगण विकास निधि मे रु 60 प्रतिवर्ष तथा सत्र 2019-20 मे विद्युतशुल्क के अंतर्गत रु 120 छात्र निधि के शुल्क के रूप मे लिए जा रहे थे, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा उक्त निधियो मे क्रमशः रु 60, 10, 20 तथा 60 निर्धारित किया गया था। इस प्रकार सत्र 2017-18 से 2019-20 तक छात्र निधियो मे रु 5.74 लाख अधिक लिए गए थे (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्र निधियो मे अधिक धनराशि वसूल की जा रही थी। इस प्रकार उच्चाधिकारियों के निर्देशों को न मानते हुये महाविध्यालय द्वारा छात्र छात्रनिधियों मे रु 5.74 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त की गयी।उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने परमहाविध्यालयद्वारा अवगत कराया गया कि महाविध्यालय मे छात्रों की संख्या कम होने के कारण पूर्व की भांति निर्धारित शुल्क लिया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल के समस्त महाविध्यालयों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था, परन्तु महाविध्यालय द्वारा शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

अतः दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रु 5.74 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

Electricityfees						
	No. of Student (a)	**Fee Receipt by College (b)**	**Total fees (c)=a*b**	**As per rule (d)**	**Total fees As per Rule (e)=a*d**	**Excess (f)=(c)-(e)**
2019-20	1608	120	192960	60	96480	96480
Total						**96480**
	Student help Fund					
18-2017	1549	20	30980	10	15490	15490
2018-19	1621	20	32420	10	16210	16210
2019-20	1608	20	32160	10	16080	16080
Total						**47780**
Development fees						
18-2017	1549	60	92940	20	30980	61960
2018-19	1621	60	97260	20	32420	64840
2019-20	1608	60	96480	20	32160	64320
Total						**191120**
Practical fees						
18-2017	1549	110	170390	60	92940	77450
2018-19	1621	110	178310	60	97260	81050
2019-20	1608	110	176880	60	96480	80400
Total						**238900**
Grand Total						**574280**

\

STAN

प्रस्तर:-1 छात्र निधियो के अन्तर्गत रु 40.44 लाख की धनराशि का अवरोधन।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार छात्रकोष की राशि उसी मद मे व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कॉलेज की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि छात्र निधियो मे प्राप्त धनराशि को छात्र कल्याणकारी कार्यो पर व्यय न करके रु 34.99 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा गया है तथा छात्र निधियो के अतिरिक्त शिक्षक कल्याण सहायता कोष मे भी धनराशि रु 5.44 लाख को अवरूद्ध रखा गया (विवरण संलग्न)। छात्रनिधियो का उपयोग छात्रो के कल्याणकारी कार्यो मे न करके उक्त धनराशि को महाविध्यालय द्वारा ब्याज प्राप्त हेतु उपयोग किया जा रहा है। आगे जांच मे पाया गया कि कई निधियो मे जैसे छात्र सहायता निधि, कैरियर काउन्सलिंग निधि, रोवर्स रेंजर्स, भूतपूर्व छात्र निधि एवं पत्रिका निधि मे विगत 3 वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी या बहुत ही कम धनराशि व्यय की गयी तथा इसके साथ ही विगत वर्षो मे (caution money) की धनराशि छात्रो को वापस नहीं की जा रही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत करायागया कि छात्र निधियो का व्यय छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे व्यय किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः छात्र निधियो के अन्तर्गत रु 40.44 लाख की धनराशि के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

क्रं सं	छात्रनिधि	वर्तमान मे अवशेष धनराशि
1	छात्र सहायता निधि	421522
2	पर्यावरण शुल्क निधि	20757
3	कैरियर काउन्सलिंग निधि	148604
4	भूतपूर्व छात्रा निधि	175166
5	रोवर्स रेंजर्स	873960
6	काशन मनी निधि	1130743
7	पत्रिका निधि	728681
	योग	3499433
8	शिक्षक कल्याण कोष	544236
	योग	4043669

STAN

प्रस्तर 02:- रु 0.35 लाख की छात्रवृत्ति की धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस न किया जाना ।

समाज कल्याण विभागद्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक/ विकलांग के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु महाविध्यालय को धनराशि प्रदान की जाती थी, यदि कोई धनराशि अवशेष रहती तो उसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को वापस लौटाया जाना चाहिए था।

कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय, डोईवाला के छात्रवृत्ति संबंधी लेखा अभिलखो की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2013-14 से समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थी छात्रों को सीधे उनके खातो मे छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2013-14 मे महाविध्यालय के छात्रवृत्ति खाते मे अवशेष धनराशि को समाज कल्याण विभाग को लौटा देनी चाहिए थी। परंतु 7 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उक्त धनराशि को वापस नहीं किया गया। बैंक पासबुक के अनुसार वर्तमान मे छात्रवृत्ति के खाते मे रु 34849 की धनराशि अवशेष है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत करायागया कि शीघ्र ही अवशेष धनराशि समाज कल्याण विभाग को वापस कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 7 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी धनराशि को वापस नहीं किया गया।

अतःरु 0.35 लाख की छात्रवृत्ति की धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ'**	**भाग-II'ब'**
38/2017-18	_	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
38/2017-18	भाग 2ब प्रस्तर संख्या 01	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय**,डोईवाला, देहरादूनतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री डा.एम.सी. नैनवाल	प्राचार्य	05.06.17 से 31.12.19
2	श्रीडा.डी॰सी॰ नैनवाल	प्राचार्य	01.01.2020से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य,शहीद दुर्गा मल्लराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,डोईवाला, देहरादून**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-I